न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 67 / 2014

1 राकेश कुमार केडिया पुत्र श्री गोविन्दराम केडिया, जाति महाजन, निवासी पब्लिक स्कूल के पासं, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़,जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 रामोतार पुत्र स्व. किशनलाल
2 सुभाष पुत्र स्व. किशनलाल
3 अशोक पुत्र स्व. किशनलाल
4 पार्वती पत्नी स्व. किशनलाल समस्त जाति जोगी, निवासीगण राजपुरा मोहल्ला, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
5 सांवरमल पुत्र स्व. नत्थूराम
6 शकुन्तला पुत्री स्व. नत्थूराम
7 सरला पुत्री स्व. नत्थूराम
8 सत्यनारायण पुत्र स्व. नत्थूराम
9 गोपाल पुत्र स्व. नत्थूराम समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी पब्लिक स्कूल के पास, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10 महावीर पुत्र हरीप्रसाद जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10/1 माया देवी पत्नी स्व. महावीर, जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10/2 नितिन पुत्र स्व. महावीर जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10/3 मु. पारूल पुत्री स्व. महावीर पत्नी मनोज, जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
11 मदन पुत्र हरीप्रसाद, जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
12 विनोद पुत्र हरीप्रसाद, जाति नाई निवासी पिलानी पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
13 सुरेश पुत्र बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
14 सुनिल पुत्र बजरंगलाल, जाति नाई निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
15 मीरा स्त्री सुशील, जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
16 सरला बेवा बनवारीलाल
17 प्रदीप पुत्र बनवारीलाल
18 पवन पुत्र बनवारीलाल
19 संजय पुत्र बनवारीलाल
20 शान्ति पत्नी द्वारकाप्रसाद
21 विजय पुत्र द्वारकाप्रसाद
22 अजय पुत्र द्वारकाप्रसाद समस्त जाति नाई, निवासीगण पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
23 सुरेश कुमार पुत्र श्री किशनलाल, जाति जोगी, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
24 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अली अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.10.2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी रामोतार वगैरह बनाम राकेशकुमार वगैरह मु.नं. पुराना 56/2012 नया मु. नं. 176/2013 दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.07.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 176/2013 (पुराना 56/2012) में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल ख. नं. 478/52 रकबा 1.03 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम धीधंवा अथूना पुरानी तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने पूर्व अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष एक वाद बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया बाद में उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ में नये उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय की स्थापना होने के कारण उक्त वाद पत्र नव स्थापित उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के न्यायालय में स्थानान्तरित होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था। राजस्थान बार एशोसियसन के आहवान पर दिनांक 03.07.2014 से दिनांक 14.09.2014 तक समस्त राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में अधिवक्तागण हड़ताल (कार्य स्थगन) पर थे। हड़ताल कुल 68 दिन तक चली थी। उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा के ट्रान्सफर होने के बाद उपखण्ड अधिकारी बुहाना के पीठासीन अधिकारी श्री कमरउद्दीन को उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ का अतिरिक्त चार्ज दे रखा था। उपखण्ड अधिकारी बुहाना के पीठासीन अधिकारी श्री कमरउद्दीन की कार्यसैली को लेकर बुहाना व सुरजगढ़ के अधिवक्तागण ने अपने अपने जोन के उपखण्ड न्यायालय के कार्य बहिस्कार कर रखा था जो चालु है। अधिवक्तागण की हड़ताल के दौरान दिनांक 31.07.2014 को अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 07.10.2014 को उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने उपकाश्तकारी के आधार पर दावा किया है। विवादित भूमि को चिरंजीलाल महाजन काश्त करता था। किशनलाल जोगी 2012 में उपकृषक दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सशपथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी का दावा दायरी से पूर्व अथवा बाद में कब्जा नहीं रहा है। विचाराधीन वाद 12 वर्ष की मियाद के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। धारा 63 (4) के अनुसार 12 साल में खातेदारी क्लैम नहीं की गई है। अपीलांट ने रिकार्डेड खातेदार से पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। अपीलांट सदभावी क्रेता है। जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता है तब तक विचारण न्यायालय को विचाराधीन निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। वादी की भू–प्रबन्ध से पूर्व अथवा बाद में खातेदारी दर्ज नहीं रही है। विधि अनुसार कब्जा रिकार्डेड खातेदार का ही माना जायेगा। धारा 19 में उपकृषक के आधार पर खातेदारी के लिए आवेदन करने का प्रावधान है। इसके लिए मियाद निर्धारित है। वादी द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचाराधीन निर्णय के समय पीठासीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

अधिकारी के विरूद्ध अधिवक्तागण द्वारा कार्यबहिष्कार कर रखा था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विधि विरूद्ध रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया हैं। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में 4 बीघा भूमि में वादीगण उपकृषक के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 में किशना उपकृषक दर्ज है। खसरा गिरदावरी से कब्जा काश्त होना साबित है। अपीलांट के विक्रेता का नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया है। विक्रेता का कब्जा नहीं था। अपीलांट को सदभावित क्रेता नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। धारा 88 के वाद के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। पीठासीन अधिकारी के आचारण के आधार पर अपील का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अपील का निर्णय रिकार्ड एवं गुणावगुण पर होना है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत दिनांक 30.07.2014 तक 39 तारीख पेशीयां दी गई है। इन तारीख पेशीयों में वाद कथन व जवाब दावें के आधार पर तनकी कायम की गई है। दिनांक 31.07.2014 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि दिनांक 04.06.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 9 नियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

7 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन का भी कोई निस्तारण नहीं किया गया है। वकील अपीलांट का कथन है कि विचाराधीन निर्णय के समय विचारण न्यायलय का कार्यबहिष्कार भी चल रहा था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण रामावतार, सुभाष, अशोक, पार्वती देवी वारिसान स्व. किशनलाल जोगी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 478/52 रकबा 1.03 हैक्टेयर वाके ग्राम धींधवा अथूण तहसील चिड़ावा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 20 को किशनलाल जोगी के काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से कब्जा काश्त एवं उप कृषक के इन्द्राज के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम की, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है। इस सन्दर्भ में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 478/52 रकबा 1.03 हैक्टेयर के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 45 मिन थे। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2012 में खसरा नम्बर 45/2 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा में वादीगण के पिता किशना पुत्र कालु जोगी का 2 बीघा पर उप कृषक का इन्द्राज है। जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में भी यही इन्द्राज है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में प्रस्तुत किसी भी जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज किशना का 2 बीघा से अधिक उप कृषक का इन्द्राज नही है। वादीगण का अथवा उनके पूर्वज का 1.03 हैक्टेयर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात कब्जा काश्त रहा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय में किसी भी राजस्व रिकार्ड का विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय भी पारित नही किया है। वादी ने उपकाश्तकारी के आधार पर दावा किया है। विवादित भूमि को चिरंजीलाल महाजन काश्त करता था। किशनलाल जोगी 2012 में उपकृषक दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सशपथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी का दावा दायरी से पूर्व अथवा बाद में कब्जा नहीं रहा है। विचाराधीन वाद 12 वर्ष की मियाद के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। धारा 63 (4) के अनुसार 12 साल में खातेदारी क्लैम नहीं की गई है। धारा 19 में उपकृषक के आधार पर खातेदारी के लिए आवेदन करने का प्रावधान है। इसके लिए मियाद निर्धारित है। वादी द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद साबित नही पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री धारा सिंह मीना, आर.ए.एस

1 राकेश कुमार केडिया पुत्र श्री गौविन्दराम केडिया, जाति महाजन, निवासी पब्लिक स्कूल के पास, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़,जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 रामोतार पुत्र स्व. किशनलाल
2 सुभाष पुत्र स्व. किशनलाल
3 अशोक पुत्र स्व. किशनलाल
4 पार्वती पत्नी स्व. किशनलाल समस्त जाति जोगी, निवासीगण राजपुरा मोहल्ला, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
5 सांवरमल पुत्र स्व. नत्थूराम
6 शकुन्तला पुत्री स्व. नत्थूराम
7 सरला पुत्री स्व. नत्थूराम
8 सत्यनारायण पुत्र स्व. नत्थूराम
9 गोपाल पुत्र स्व. नत्थूराम समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी पब्लिक स्कूल के पास, पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10 महावीर पुत्र हरीप्रसाद जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक
10/1 माया देवी पत्नी स्व. महावीर, जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10/2 नितिन पुत्र स्व. महावीर जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

10/3 मु. पारूल पुत्री स्व. महावीर पत्नी मनोज, जाति नाई, निवासी पिलानी, तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
11 मदन पुत्र हरीप्रसाद, जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
12 विनोद पुत्र हरीप्रसाद, जाति नाई निवासी पिलानी पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
13 सुरेश पुत्र बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
14 सुनिल पुत्र बजरंगलाल, जाति नाई निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
15 मीरा स्त्री सुशील, जाति नाई, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
16 सरला बेवा बनवारीलाल
17 प्रदीप पुत्र बनवारीलाल
18 पवन पुत्र बनवारीलाल
19 संजय पुत्र बनवारीलाल
20 शान्ति पत्नी द्वारकाप्रसाद
21 विजय पुत्र द्वारकाप्रसाद
22 अजय पुत्र द्वारकाप्रसाद समस्त जाति नाई, निवासीगण पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
23 सुरेश कुमार पुत्र श्री किशनलाल, जाति जोगी, निवासी पिलानी, पुरानी तहसील चिड़ावा, वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)
24 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

नियमित अपील संख्या 67/2014 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 56/2012 पुराना एवं नया 176/2013 उनवानी रामावतार वगैरह बनाम राकेश कुमार वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री धारा सिंह मीना आर.ए.एस. बहाजरी श्री विजयपाल वास्ते अपीलांट श्री गोरधन सिंह वास्ते रेस्पोडेंट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक १7.07.2023 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)